

Seventeenth Loksabha

an>

Title: Regarding demand to give permission to students to appear in Medical Graduates Admission Test in Jammu and Kashmir.

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक संगीन मसला उठाने की इजाजत दी है, उसके लिए आपको बहुत-बहुत शुक्रिया। जम्मू-कश्मीर के सतारा से करीब छः साल पहले बच्चों ने मीरपुर और दूसरे मेडिकल कॉलेजेज में दाखिला लिया। एम्बेसी की अनुमति से सभी पेपर्स का प्रोसेस हो गया। अब जब उन्होंने कोर्स कम्पलीट कर लिया तो उनको एमसीआई द्वारा फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट में बैठने की अनुमति नहीं दी जा रही है। वे छोटे बच्चे और बच्चियां हैं, जिन्होंने पांच साल तक मेहनत की है और डिग्री हासिल की है। मेरी गुजारिश है कि वन टाइम एक्सेप्शन के तौर पर उनको इस एग्जाम में बैठने की इजाजत दी जाए, ताकि उन्होंने जो मेहनत की है, वे उसका लाभ उठा सकें। जब वे मेडिकल ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट में पास हो जाएंगे तो डॉक्टर की हैसियत से प्रैक्टिस कर पाएंगे। इसके अलावा एनएच 44 की तेजी के साथ मरम्मत की जाए और मगरकोट रोड को खोला जाए। अब मेवे का उत्पादन होगा और उतराई होगी तो करीबन 25 लाख मीट्रिक टन मेवा कश्मीर से मुल्क के बाकी हिस्सों में जाएगा। जिसके लिए एनएच 44 तैयार नहीं है। उसके लिए मगरकोट रोड का खुलना जरूरी है।

माननीय अध्यक्ष :

श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. को श्री हसनैन मसूदी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।